

Date: 12th August, 2024

To,
BSE LIMITED
25th Floor, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400001, MH

Scrip Code: 532829

Sub: Intimation of submission of Newspaper Publication

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper advertisement for "Information regarding 30th Annual General Meeting of the Company to be held at registered office of the Company published on August 11, 2024 in following newspapers:

- *Financial Express (English)*
- *Nafa Nuksan (Hindi)*
- *Business Remedies (Hindi)*

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

for **Lehar Footwears Limited**

Ritika Poddar

Company Secretary & Compliance Officer

ACS No. A65615

Encl: As Above



LEHAR FOOTWEARS LIMITED

A-243(A), Road No.6, V.K.I. Area, Jaipur (INDIA)

Phone : +91-141-4157777

W.- www.leharfootwear.com, E.-info@leharfootwear.com •

CIN No. : L19201RJ1994PLC008196

ISO 9001 (QMS)
ISO 14001 (EMS)
ISO 18001 (OHSAS)
REGISTERED FIRM

IWAE LIR Evawave istUDENT PU BLISS + ORTHO RELAX
Doctor of Your Feet

GIC HOUSING FINANCE LTD.

Corporate Office / Head Office - GIC/HL National Insurance Building 8th floor, J.T. Road, Next to Astoria Hotel, Churchgate, Mumbai, 400 020 Tel: (022) 2285 1765 / 66 / 67
BRANCH ADDRESS - GHAZIABAD AREA OFFICE - Shop No- 3, 1st Floor, Astoria Boulevard, RDC, Rajpura, Ghaziabad - 201002, Office Tel: 0120-4955336/ 991865222 Branch mail id: ghaziabad.ncr@gicfl.co.in
BRANCH ADDRESS - GIC/HL Noida 104-105, First Floor, Pt. Vishal chambers, Sector-18, Noida-201301, UP Ph: 0120-4206078, 4213037
Branch Mail noida@gicflnoida.com
BRANCH ADDRESS: Delhi Branch-UGF 10/A E Kancharanjuga Building 18, Barakhamba Road, Connaught Place,Delhi-110001 Ph:- 011-23353430, 011-23237548

E-AUCTION SALE NOTICE

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of GIC Housing Finance Ltd. (GIC/HL), under Securitisation & Reconstructions of Financial Assets and Enforcement of Secured Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Securities Interest (Enforcement) Rules, 2002 had issued Demand Notice to following Borrowers/Mortgagors calling upon them to repay the outstanding due amount mentioned in the said notices. However, Borrowers/Mortgagors having failed to repay the said due amount, the undersigned has taken Physical possession of the following property in exercise of powers conferred U/s 13(4) and U/s 14 of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules.

GHAZIABAD BRANCH

Table with columns: Sr. No., Name of the Borrower & Co-Borrower / Loan No., Property Address & Area of Property, Demand Notice issued Date, Date of Physical Possession, Total Outstanding as on 31.07.24 (Incl. POS, Interest and Other charges), Reserve Price (In Rupees).

NOIDA BRANCH

Table with columns: Sr. No., Name of the Borrower & Co-Borrower / Loan No., Property Address & Area of Property, Demand Notice issued Date, Date of Physical Possession, Total Outstanding as on 31.07.24 (Incl. POS, Interest and Other charges), Reserve Price (In Rupees).

DELHI BRANCH

Table with columns: Sr. No., Name of the Borrower & Co-Borrower / Loan No., Property Address & Area of Property, Demand Notice issued Date, Date of Physical Possession, Total Outstanding as on 31.07.24 (Incl. POS, Interest and Other charges), Reserve Price (In Rupees).

Date of E-Auction & Time: 13-09-2024 at the Web-Portal (https://www.bankauctions.in) from 2.00 PM TO 03:00 PM, with unlimited extensions of 5 minutes each. Last date for Bid submission / Sealed Bid in the prescribed tender form along with EMD & KYC either through online mode or at the above mentioned GICHF Office on or before 11-09-2024. Further to this PUBLIC NOTICE for E-Auction Sale of the above said Assets / properties (in terms and conditions of the SARFAESI Act 2002 and rules thereunder) GIC/HL invites OFFERS EITHER in sealed covers or in Online mode to purchase the said properties on 'AS IS WHERE IS BASIS' and 'AS IS WHAT IS BASIS'.

LEHAR FOOTWEARS LIMITED

REG OFFICE: A-243(A), ROAD NO.6, V.K.I.AREA, JAIPUR 302013, PHONE : 0141-4157777, FAX: 0141-4157766 Website: www.leharfootwear.com, E-mail: csco@leharfootwear.com, info@leharfootwear.com, CIN: L19201RJ1994PLC008196
NOTICE OF THE 30th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD AT REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY
NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Lehar Footwears Limited ("Company") will be held on Tuesday, September 3, 2024 at 11:00 A.M. at A 243 (A), Road No. 6, V.K.I Area, Jaipur- 302013 RJ.

The Board of Directors of Lehar Footwears Limited ("the Company"), at its Meeting held on 30th May, 2024, has recommended a Final Dividend of Rs. 0.30/- per Equity Share for the Financial Year ended 31st March, 2024, subject to approval of the Shareholders at the ensuing 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company and will be paid within 30 days from the declaration of dividend to the members whose names appear in the Register of Members as on the cutoff date i.e., 03rd September, 2024 through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details. For members who have not updated their bank accounts details, dividend warrants/demand drafts/ cheque will be sent to the registered addresses depending on availability of postal services. To avoid delay in receiving the dividend, Members are requested to update their complete bank account with Company/RTA (in case of physical mode) and depositories (in case of demat mode). Shareholders may please note that in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, as amended by and read with the provisions of the Finance Act, 2020, dividend declared and paid by the Company with effect from 1st April, 2020, is taxable in the hands of Shareholders and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to the Shareholders at the applicable rates.

Table with columns: In case of Demat Holding, In case of Physical Holding. Details regarding dividend payment procedures.

Date: 10.08.2024 Place: Jaipur

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar - 125 005 (Haryana) Email: info@hisarmetal.com; Website: www.hisarmetal.com Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738 Fax: (01662) 220265 CIN: L74899HR1990PLC030937
Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on June 30, 2024 (Rs. in lakhs except as stated)

Table with columns: Particulars, Quarter ending 30/06/2024 (Unaudited), Quarter ending 31/03/2024 (Audited), Quarter ending 30/06/2023 (Unaudited), Year ending 31/03/2024 (Audited). Includes Total Income from Operations, Net Profit, etc.

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For and on behalf of Board of Directors (Abhiram Taya) Managing Director DIN 00081453

VANI COMMERCIALS LIMITED

162-A, Second Floor, Sector-7, Dwarka, Palam Village New Delhi- 110045 CIN: L74899DL1988PLC106425 Website: www.vanicommercials.com; Email: info@vanicommercials.com, Ph. +91-9560066230

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

Table with columns: Sl. No., Particulars, Standalone (3 months ended, 3 months ended, 12 months ended), Consolidated (3 months ended, 3 months ended, 12 months ended). Includes Total Income from Operations, Net Profit, etc.

Notes: The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For Vani Commercials Limited (Vishal Abrol) Managing Director DIN: 0693389

Date: 10th August, 2024 Place: New Delhi

4. Every bidder is required to have his/her own email address in order to participate in the online E-auction. One Intending Bidder formally registers as a qualified tenderer before authorized officer of GIC/HL, will have to express his/her interest to participate through the E-auction bidding platform, by submitting document. It shall be the tenderer's/online bidder's sole responsibility to procure his/her login ID and password from the E-auction service provider.

6. The aforesaid properties shall not be sold below the reserve price mentioned above. 7. Intending bidders are required to deposit Earnest Money Deposited (EMD) @ 10% of the above said respective reserve prices, by way of DD/RTGS/NEFT favouring GIC Housing Finance Ltd. Bank details are as follows: Bank Name: Union Bank of India, A/C No: 00511010000039-A/C Name: GIC HOUSING FINANCE LTD EAUCTION COLLECTION, Branch Name: FORT Center, LCB, FORT IFC Code- UBIN0800511.

8. The said Deposits shall be adjusted in the case of successful bidders, otherwise refunded. The said earnest money deposits/will not carry any interest. 9. The offers/s along with the aforesaid Earnest Money Deposit (EMD) can be submitted either "online" through the portal https://bankauctions.in/ along with the EMD and scanned copy of KYC documents including PAN Card & address proof, to the service provider or through submitting sealed cover comprising bid form, EMD and KYC documents and it should reach the respective branch offices of GIC Housing Finance Ltd 10. That, after opening the tenders, the intending bidders who have submitted their bids for not less than the reserve price will be given an opportunity at the sole discretion of the Authorized Officer to increase the bidding amount.

11. The successful bidder/s shall deposit 25% of the amount of sale price, adjusting the EMD paid already, immediately on acceptance of offer by the Authorized officer in respect of the sale, failing which the earnest money deposited shall be forfeited. The balance 75% of the sale price is payable within 15 days from the date of confirmation of the sale solely at the discretion of the Authorized Officer. In case of failure to deposit the balance amount within the prescribed period, the amount deposited shall be forfeited. The Authorized Officer shall not be required to give any further notice of forfeiture to the successful bidder. 12. Bidders are bound by the principle of "caveat emptor" (Buyer Beware) and advised to conduct their own due diligence to find any encumbrances, statutory liabilities, arrears of property tax, Income Tax, Excise Duty, Labour Dues, electricity and maintenance dues etc., of the firm or Secured Asset. The successful bidders shall have to bear all outgoing i.e., municipal taxes, maintenance/society charges, electricity charges, water charges, stamp duty, registration charges, (if applicable), if any and all other incidentals charges, cost including all outgoing relating to the respective properties other than the sale price.

13. The successful bidder should bear the charges/fees payable on sale certificate, such as registration fees, stamp duty, taxes, or any other duties payable for getting the secured asset transferred in his/her name. 14. The Sale Certificate will be issued only in the name of the successful bidder and only after receipt of the entire /sale price. 15. The notice is hereby given to the Borrowers, Mortgagors and Guarantor/s that they can bring the intending buyer/purchaser for purchasing the properties mentioned above, as per the terms and Conditions of the E-Auction Sale. 16. Inspection of the above said properties can be given on request and as per convenience of Authorized Officer. 17. The Authorized Officer is not bound to accept the highest offer or any/all offers and reserves the right to accept or reject any/all the tenders without assigning any reason there for. 18. GIC/HL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the properties as mentioned above. The Property, shall be auctioned on 'As is where is', 'As is what is', 'Whatever there is' And 'Without Any Recourse Basis'. For detailed terms and conditions of the sale and full description of the properties please refer to the website of approved e-auction Service Provider 'M/s. 4 closure' / website https://www.bankauctions.in.

Date: 10-08-2024 Place: Ghaziabad- Sd/, Authorised Officer, GIC HOUSING FINANCE LTD

PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017] FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF INDUS CLEAN ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED

Table with columns: S. No., Name of Corporate Person / Corporate Person, Indus Clean Energy (India) Private Limited, Date of Incorporation of Corporate Person, Authority under which Corporate Person is Incorporated/ Registered, Corporate Identity Number / Limited Liability Identity Number of Corporate Person, Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of the Corporate Person, Name, Address, Email Address, Telephone Number and the Registration Number of the Liquidator, Last Date for Submission of Claims.

Notice is hereby given that the Indus Clean Energy (India) Private Limited has commenced voluntary liquidation on 9th August 2024.

The stakeholders of Indus Clean Energy (India) Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 8th September 2024 to the liquidator at the address mentioned against item 7.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Date : 9th August 2024 Place : Mumbai Name and Signature of the Liquidator: Sd/- Dilipkumar Natvarlal Jagad Registration No.: IBBI/IPA-001/IP-P00233/2017-2018/10462

PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED

Regd. Office: 18th Km Stone, Delhi Moradabad Road, NH-24, Village Amhera, Distt. Amroha-244102 Tel: 91-9760091983 Website: www.prakashwoollen.com ; Email: info@prakashwoollen.com CIN: L17291UP1979PLC004804

Notice of Postal Ballot

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated 13, 2020/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) (Including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force and as amended from time to time) and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the SEBI Listing Regulations"), the resolution as set out in the postal ballot notice dated August 07, 2024 is proposed for approval of the members of Prakash Woollen & Synthetic Mills Limited ("the company") through postal ballot by way of voting through electronic means ("remote e-voting").

In accordance with the Act and MCA Circulars, the company has completed the dispatch of postal ballot notice on Saturday, 10th August, 2024, in electronic form only to those members who have registered their email address with their Company/ Depository Participants and whose names appear in the register of members / register of beneficial owners as received from the depositories as on Friday, 9th August, 2024 ("cut-off date"). The said notice is also available on the websites of the company http://www.prakashwoollen.com/InvestorFiles/notice.pdf, on the website of CDSL www.evotingindia.com and on the website of BSE Limited www.bseindia.com.

In accordance with the provisions of the MCA Circulars, the members can vote only through the remote e-voting process. A person whose name appears in the register of members/ list of beneficial owners as on the cut-off date shall be entitled to vote through remote e-voting process on the resolution as set out in the said postal ballot notice. Any person who is not a member as on the cut-off date, should treat this notice for information purpose only.

The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility. The procedure for remote e-voting is given in the said postal ballot notice.

The remote e-voting shall commence from Tuesday, August 13, 2024 (9:00 A.M. IST) and remain open upto Wednesday, September 11, 2024 (5:00 P.M. IST). Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and shall be forthwith disabled by CDSL. Once the vote on resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Members of the Company, who have not yet registered their email address and mobile number, are requested to register the same immediately with their DPs in respect of shares held in electronic form and by communicating to company/ RTA in respect of shares held in physical form.

Members who have not received the Postal Ballot notice may send request on compliance@prakashwoollen.com along with the documents mentioned below:

(i) In case shares are held in physical mode, please provide Folio Number, name of the Member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN Card) and Aadhaar (self-attested scanned copy of Aadhaar Card).

(ii) In case shares are held in demat mode, please provide DP ID and Client ID (16-digit DP ID and Client ID or 16 digit beneficiary ID), name of the Member, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN Card) and Aadhaar (self-attested scanned copy of Aadhaar Card).

The Company has appointed CS Rupinder Singh Bhatia, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 2599 and Certificate of Practice No. 2514) as the Scrutinizer to scrutinize remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of the postal ballot will be declared within two working days of conclusion of remote e-voting process i.e. on or before, September 13, 2024. The results will be communicated to the Stock Exchanges and will be uploaded on the website of the Bank at www.prakashwoollen.com. The said results will also be displayed at the registered and corporate offices of the Company.

For electronic voting instructions, shareholders may go through the instruction in the Notice of Postal Ballot and in case of any queries / grievances connected with electronic voting, Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-Voting User Manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or call on toll free no.: 1800-200-5533

By order of the Board of Directors Prakash Woollen & Synthetic Mills Limited Sd/-(Vijay Kumar Gupta) Place: VIII. Amhera (Amroha) (Whole-Time Director) Date: 10.08.2024 DIN: 00335325

संपादकीय

समग्र आर्थिक विकास के लिए कृषि व ग्रामीण सशक्तिकरण आवश्यक

77 वर्ष की स्वतंत्रता अवधि के पश्चात भी जब भारत स्वतंत्रता का अमृतकाल मना रहा है। आज भी देश की बहुत बड़ी बहुसंख्यक आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भरता देश की कमजोरी की प्रतीक नहीं है, लेकिन आर्थिक नीतियों में व्याप्त असमानता का असर देश की दो-तिहाई आबादी पर अवश्य पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में अलग-अलग सरकारों के द्वारा समय-समय पर कृषि उन्नयन के प्रयास किए गए हैं। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। सैकड़ों सिंचाई के बांध भी बने हैं। सरकार ने समय-समय पर समर्थन मूल्य वृद्धि भी की है ताकि किसानों को अधिक आय और आर्थिक समानता का जीवन जीने को मिल सके। अच्छे कीटनाशक, रासायनिक खाद की व्यवस्था भी हुई है। ट्रैक्टर, शौचालय, मकान, रसोई गैस की सुविधा से किसान परिवारों को संबल प्रदान करने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद आज भी भारत के गांव की तस्वीर बहुत उज्वल नहीं कही जा सकती है। अन्य देशों में भूमि के आकार की अधिकता के बावजूद कृषि पर नागरिकों की निर्भरता कम है। नागरिक सेवा, उद्योग व्यवसाय की ओर आगे बढ़ गए हैं और सीमित संख्या में आबादी कृषि पर निर्भर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की आत्मनिर्भरता आज विश्व के समक्ष एक उदाहरण है और भारत कृषि क्षेत्र के उत्पादों का निर्यातक भी बन गया है। देश के आर्थिक विकास में भारतीय कृषि के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि भारत की आय वृद्धि विकास व उपभोग की आत्मनिर्भरता में कृषि की अहम हिस्सेदारी रही है। वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय बजट में भी ग्रामीण विकास व कृषि सम्बल पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें यह तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार वित्तीय कुशल प्रबंधन के साथ ग्रामीण विकास व कृषि विकास को भी समान रूप से प्राथमिकता दे रही है। समेकित आर्थिक विकास के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। इसी संदर्भ में सरकार ने कृषि ही नहीं वरन् ग्रामीण विकास के साथ महिला सशक्तिकरण को भी अपने विकास का आधार बनाया है। आज भी देश के कृषि उत्पादन में 40 प्रतिशत व पशुपालन में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी व योगदान ग्रामीण महिला का है, जो पति व परिवार के साथ पशुपालन में भी अहम योगदान देती है। भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र गंगा क्षेत्र

है जहां विश्व का 14-15 प्रतिशत गेहूँ उत्पादित होता है, लेकिन वर्ष 2050 तक गर्मी की जो आशंका व्यक्त की गई है, उसके अनुसार इस उत्पादन में 50 प्रतिशत तक कमी आ सकती है जैसे-जैसे गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है और मानसून की प्रवृत्ति में भी बदलाव मौसम परिवर्तन के प्रभाव से देखने को मिल रहा है। उसके कारण देश में कृषि उपजों की गुणवत्ता व मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है तथा कृषि उत्पादन में प्रोटीन के अलावा अन्य पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। आज भी देश में अधिकांश कृषि की जोत का आकार 1.5 हेक्टेयर से कम है अर्थात् कृषि पर निर्भर बहुसंख्यक परिवारों के पास 1.5 हेक्टेयर से कम भूमि है और इन कृषि जोतों को आज भी अधिकांशतः मानसून की बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सात के दशक में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने पंडित नेहरु के कार्यकाल में संसद में देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ने का एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उस समय की सरकार अगर उस विधेयक को स्वीकार कर लेती तो आज देश में अतिवृष्टि, अकाल की समस्या ही नहीं होती। बाढ़ से भी देश मुक्त हो जाता है और मौसमी नदियां भी पानी से पूर्ण होती। पानी का समुद्र में बंकाव बंद जाना रुक जाता और कृषि आज सम्पन्नता की प्रतीक होती। अभी भी समय है इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, ताकि देश को सूखे और बाढ़ से मुक्त किया जा सके। छोटी जोत के किसानों को सहज सिंचाई की सुविधा सुलभ हो सके। देश का कृषि उत्पादन बढ़ सके। केन्द्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में भंडारण, अनुसंधान व विकास के साथ नई मौसम आधारित फसलों के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। देश की तिलहन तेल की आयात निर्भरता के समाप्त करने को कार्य योजना का भी संकेत दिया है। इसके साथ ही डिजिटल फल सर्वे का संकेत भी दिया है और इससे देश की कृषि को निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन आज भी सब्जियों को फसलों के समक्ष ग्रामीण स्तर तक बहुत बड़ी समस्या भंडारण को लेकर है। आज देश में मुद्रा प्रसार का कारण केवल खाद्य पदार्थ व सब्जियां रह गयी है और इस समस्या का हल उचित भंडारण व लॉजिस्टिक सुविधाओं के ग्रामीण स्तर पर विकास से किया जा सकता है। आज भी एक तहसील में समाहित 100 गांवों में से 5-7 गांवों में भी वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहां वातानुकूलित सुविधा के साथ फसलों, फलों, सब्जियों का भंडारण संभव हो सके। इस दिशा में क्रांतिकारी निर्णयों व बदलावों की आवश्यकता है।

यही कार्य योजनाएं देश की कृषि को एक सम्पन्न उद्योग की तरह खड़ा कर सकती है। केन्द्रीय बजट में ग्रामीण स्तर पर सड़कों के निर्माण, ग्रामीण स्तर पर विद्युत आपूर्ति हाउसिंग सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण विकास के साथ कृषि क्षेत्र के उन्नयन में भी सहयोग मिलेगा। भारत में ग्रामीण सड़कों का विकास व गांवों को शहरों से सड़क स्तर से जोड़ने का कार्य भी तेजी से हो रहा है। ग्रामीण स्तर पर विद्युतीकरण भी तेजी से किया जा रहा है। देश में ग्रामीण स्तर पर सोलर पावर, वायु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत भी तैयार किए जा रहे हैं और इसके साथ ही देश के ग्रामीण क्षेत्र में ही कृषि प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को ब्याज में अनुदान व निवेश में अनुदान दिया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण व कृषि सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे किसानों को आय में और वृद्धि होगी और किसान परिवार, युवा शक्ति औद्योगिक उत्पादन की ओर आकर्षित होगी। उत्पादन के संदर्भ में एथलीन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत को कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित कर सकता है। इसी तरह उल्कृष्ट वेस्ट प्रबंधन भी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत उत्पादन का प्रमुख साधन बन सकता है। देश का मानव संसाधन विशेष रूप से ग्रामीण कृषि क्षेत्र का मानव संसाधन आज भी विश्व स्तर पर सबसे कम कार्बन उत्सर्जन का कार्य करता है और यह हमारी संपत्ति है। इसी मानव संसाधन ने देश को विश्व का 5वां सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन देश बनाया है। उसकी शक्ति का सही उपयोग किया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय बजट में राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के विकास के साथ सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन व सप्लाई चेन के विकास पर भी बल दिया गया है। देश में उच्च उत्पादन क्षमता की 109 कृषि उत्पादों की वैरायटी को तेजी के साथ बाजार में स्थापित करने का भी संकल्प लिया गया है। देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि की ओर प्रेरित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा ग्रामीण विकास को 265000 करोड़ रुपए के आकंटन के साथ प्राथमिकता दी गई है। कृषि विकास के लिए 151800 करोड़ रुपए का प्रावधान निश्चित रूप से ग्रामीण व कृषि सशक्तिकरण व विकास में सहयोगी होगा, ऐसी संभावना है।

सरकारी कर्मचारी के वेतनमान में कटौती व वसूली संबंधी किसी भी कदम के गंभीर परिणाम होंगे : न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी के वेतनमान में कटौती और उससे वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के समान होगा, क्योंकि इसके "गंभीर परिणाम" होंगे। न्यायालय ने कहा कि किसी कर्मचारी के वेतनमान को कम करने तथा अतिरिक्त राशि वसूलने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता और वह भी लंबे समय के अंतराल के बाद। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के वेतनमान में कटौती संबंधी बिहार सरकार के अक्टूबर 2009 के आदेश को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने उनसे अतिरिक्त राशि वसूलने का भी निर्देश दिया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा, "इसके अतिरिक्त, हमारा यह भी मानना है कि किसी सरकारी कर्मचारी के वेतनमान में कटौती और उससे वसूली का कोई भी कदम दंडात्मक कार्रवाई के समान होगा, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।" उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त

कर्मचारी द्वारा दायर उस अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के अगस्त, 2012 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने माना था कि वेतन निर्धारण में संशोधन और उसके परिणामस्वरूप कटौती फरवरी 1999 के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार की गई थी, जिसके अनुसार वह उच्च वेतनमान के हकदार नहीं थे, जो उन्हें गलत तरीके से प्रदान किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने राज्य को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में प्राधिकरण ने इसे खारिज कर दिया था। इसने कहा कि उन्होंने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, "राज्य सरकार द्वारा 8 अक्टूबर, 2009 को पारित आदेश जिसमें अपीलकर्ता के वेतनमान में कटौती करने और उससे अतिरिक्त राशि वसूलने का निर्देश दिया गया था, पूरी तरह से अवैध तथा मनमाना है और इसे रद्द किया जाता है।" पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को भी रद्द कर दिया।

इसने कहा कि 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें 10 मार्च, 1991 से वरिष्ठ चयन ग्रेड, विपणन अधिकारी-सह-सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी (एडीएसओ) के पद पर पदोन्नत किया गया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने फरवरी 1999 में एक प्रस्ताव जारी कर विपणन अधिकारी और एडीएसओ के

भारतीय दंड संहिता : वेल्फ्युएबल सिव्योरिटी

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वेल्फुएबल सिव्योरिटी से आशय यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से कानूनी अधिकार सिद्ध होता है। इसको हस्तांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपना नाम लिख दिया था। यह एक एंडोसमेंट है, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति ने उस बिल पर अपने अधिकारों को हस्तांतरित करने का कार्य किया है जो उस दस्तावेज का कानूनी हकदार हो सकता है। इसको निश्चित रूप से एक वेल्फुएबल प्रतिभूति कहा जाएगा।

वेल्फुएबल प्रतिभूति एक दस्तावेज है। इसके माध्यम से कानूनी अधिकार का सृजन होता है। उसे हस्तांतरित किया जा

सकता है। उसको समाप्त भी किया जा सकता है। उसको सीमित भी किया जा सकता है। वेल्फुएबल प्रतिभूति शब्द मूल दस्तावेज पर ही लागू होता है। किसी प्रतिभूति पर लागू नहीं होता है। किसी वेल्फुएबल सिव्योरिटी की प्रति को वेल्फुएबल प्रतिभूति नहीं माना जा सकता है। लेखा पुस्तकें जो किसी पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हैं उनको वेल्फुएबल प्रतिभूति नहीं माना जा सकता है। कोई डॉक्यूमेंट पर अगर उचित स्टाम्प नहीं है और उसके अगर साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सका है। तो ऐसे दस्तावेज को वेल्फुएबल प्रतिभूति नहीं माना जा सकता है। एकाउंट का सेटलमेंट लेकिन उस पर हस्ताक्षर नहीं हो तलाक का दस्तावेज प्रमेजरी नोट जिसका क्रियान्वयन एक

वेतनमान को जनवरी 1996 से संशोधित किया था।

न्यायालय ने कहा कि वह व्यक्ति 31 जनवरी, 2001 को एडीएसओ के पद से सेवानिवृत्त हुआ था और उन्हें अप्रैल 2009 में राज्य सरकार से एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि उनके वेतन निर्धारण में त्रुटि हुई है और इसलिए उनसे 63,765 रुपये वसूल जाने चाहिए क्योंकि यह भुगतान उनकी पात्रता से अधिक था।

पीठ ने कहा कि उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने राज्य को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाद में प्राधिकरण ने इसे खारिज कर दिया था। इसने कहा कि उन्होंने फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले

में कहा, "राज्य सरकार द्वारा 8 अक्टूबर, 2009 को पारित आदेश जिसमें अपीलकर्ता के वेतनमान में कटौती करने और उससे अतिरिक्त राशि वसूलने का निर्देश दिया गया था, पूरी तरह से अवैध तथा मनमाना है और इसे रद्द किया जाता है।" पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को भी रद्द कर दिया।

सूचना

इस पृष्ठ पर प्रकाशित सभी न्याय निर्णय मूल निर्णयों की नकल नहीं हैं। यह निर्णय मूल निर्णय को पढ़कर पाठकों के हित में प्रकाशित किये गये हैं। आवश्यकता पड़ने पर मूल निर्णय को अवश्य देखें। -संपादक

हेल्थ ♦ सोसायटी ♦ एज्युकेशन

समय की मांग



फेरें गो को याद कर, नित का जप लें माल ।
छोड़ो पातक सभी, रीझो गो गोपाल ।
साभार :- शारदा-नवल डागा

आज का विचार

अकेलेपन में जो लाभ हैं, वे अनुभव से ही सिद्ध हो सकते हैं। -अखिल

नफा नुकसान

स्वत्वाधिकारी कुशाग्र पब्लिकेशन प्रौ. लि. के लिए मुद्रक व प्रकाशक जितेंद्र कोठारी द्वारा 52-53, कल्याण कॉलोनी, मालवीया नगर, जयपुर-17 (राज. ऑफिस) एवं 204, गौरव टॉवर मालवीया नगर, जयपुर-17 (कार्यालय) से प्रकाशित एवं कुशाग्र पब्लिकेशन प्रौ. लिमिटेड, एसपीएल-4(ए), सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित।

सम्पादक: वैभव कोठारी
(पीआरबी के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)

फोन: 0141-4011152
0141-3518087
ई-मेल : info@nafanuksan.com

डिजिटल कलेक्टर

नफा नुकसान में प्रकाशित हर प्रकार के कंटेंट के जरिए पाठकों को कारोबारी नुकसान में हो रहे घटनाक्रमों की जानकारी, विश्लेषण, सूचनाएं आदि देने का प्रयास रहता है। इनमें से कई बार ऐसे से कंटेंट का प्रकाशन भी हो सकता है जो नफा नुकसान के पास उपलब्ध जानकारियों से मिल नहीं खाता हो व अलग हो। इसलिए नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट के आधार पर अगर कोई कैसा भी निर्णय करता है तो उसकी जिम्मेदारी नफा नुकसान नहीं लेता है। पाठक स्वयं अपने विवेक से ही निर्णय करें ऐसी अपेक्षा की जाती है। नफा नुकसान में चित्र विज्ञापनों का प्रकाशन किया जाता है उनके बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि नफा नुकसान का किसी भी विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन के अलावा अन्य कोई सरोकार नहीं है और न ही विज्ञापनों में दर्शाई सामग्री का कोई समर्थन नफा नुकसान द्वारा किया जाता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण व दावे के लिए विज्ञापनकर्ता ही जिम्मेदार होगा। नफा नुकसान में प्रकाशित कंटेंट लेखकों, न्यूज एजेंसी व संपादकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं जिनपर पूरी तरह से नफा नुकसान का सर्वाधिकार है। नफा नुकसान में प्रकाशित किसी भी तरह के कंटेंट का किसी भी व्यक्ति, संस्थान या अन्य द्वारा बिना नफा नुकसान को लिखित अनुमति के प्रकाशन व प्रसारण किया जाना गैर-कानूनी होगा।



ART OF MANAGEMENT
385

वापस पाऊं। कैसे अपना आत्मविश्वास वापस पाऊँ उसी अरुणिमा सिन्हा को पाऊँ, जो उस दिन ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। मैंने तय किया कि मैं हिमालय चढ़ूँगी। ऑपरेशन के कुछ वक्त बाद मैंने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझे पागल और सनकी कहा। तब बुरा लगता था आज खुशी होती है क्योंकि जो शख्स अपने लक्ष्य के लिए पागल नहीं है वह उसे पा भी नहीं सकता। प्रशिक्षण के 8 महीने बाद यह आलम हो गया कि 35 किलो कि डंगरी पीठ पर लादे मैं सबसे पहले हर पीक पर पहुँच जाती थी। लोग पूछते थे मैंडन खाती क्या हो। असल में साहस और जुनून आपसे वह भी करवा लेता है जो आपके शरीर के बस में नहीं। पूरा खेल दिल दिमाग और हौंसलों का है। यह मेरा पल-पल का अनुभव है कि इसान जो चाहता है वह पाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। कई बार जब चढ़ाई के दौरान मेरा नकली पैर निकलकर अलग हो जाता था, शेरपा कहता अरुणिमा जान बचाना है तो वापस चलो। मैं चुप रहती और आगे बढ़ जाती।

यह समझना बहुत जरूरी है कि जुनून का अर्थ क्या है? जुनून का एक अर्थ होता है पागलपन की हद। इसके लिए कुछ लता करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी काम को मन से करने की जिम्मेदारी उठानी है और ठान लेना है कि मुझे ये काम किसी भी हालात में पूरा करना है। काम को पूरा करने के लिये आप हर युक्ति लगाओगे, तन मन को कार्य पूर्ण में डूँकें दोगे, वही आप का जुनून है। आज मैं इस लेख के माध्यम से साहस और जुनून की एक बेहतरीन कहानी सुना रहा हूँ। अरुणिमा सिन्हा, ऐसी शख्सियत के बारे में बता कर रहा हूँ जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि साहस और जुनून आपसे वह भी करवा लेता है जो आपके शरीर के बस में नहीं। एक सेमिनार में अरुणिमा सिन्हा (पर्वतारोहिणी) ने अपनी जिन्दगी के संघर्ष और सफलता कि कहानी सुनाई, उसी को आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं दो मौके कभी नहीं भूलती हूँ। एक तब जब मैं हिमालय पर तिरंगा फहराकर कर लौटी थी और दूसरा हिमालय फतह से दो साल पहले मुझे ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था और मैंने अपना एक पैर खो दिया था। मैं कभी नहीं भूल सकती 2011 का वो दिन जब कुछ बदमाशों ने महज एक सोने की चेन के लिए मुझे ट्रेन से धकेल दिया था। मेरी आँखों के सामने मेरे पैर पर से ट्रेन गुजर रही थी। बहुत दर्द में थी मैं। रात भर ट्रैक पर पड़ी रही। सुबह गाँव वालों ने मुझे अस्पताल पहुँचाया। अस्पताल में जब ऑख खुली तो सभी मुझे बड़ी दया भरी नजर से देख रहे थे जो स्वाभाविक था। अगले दिन मैं अखबार कि सुविधियों में थी, लिखा था अरुणिमा सिन्हा सूइसाइड करने पहुंची थी। मेरे पैर के ऑपरेशन के बाद रिश्तेदारों ने दुख: जताना शुरू कर दिया कि अब इसकी शादी कैसे होगी? जबकि मैं सोच रही थी कि खुद को कैसे

एक दिन हमारे पीछे कोई भारतीय आया और उसने कहा अरे यह अरुणिमा है क्या? शेरपा ने कहा हाँ। उस शख्स ने कहा अरे तुमसे तो सारा देश प्रोत्साहित हो रहा है। बस फिर क्या था जो दर्द था वह भी काफिर हो गया था। यहाँ से दो दिन बाद मैं पीक पर थी और यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने अपने सेमिनार की समाप्ति पर कहा मैं आज आप सब को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि इस कमी के बावजूद अगर मैं हिमालय चढ़ सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ साहस और जुनून का है। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको जुनूनी बनना पड़ेगा।

PM Bhardwaj,
Management & Motivation Consultant
Ex CMD Instrumentation Ltd. & other PSU's
Email : pmb.jaipur@gmail.com

भारत में बहुविवाह प्रथा

अनुच्छेद-21- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण- किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं माना जाता तथा विधि में सभी धर्मों को समान माना गया है। भारतीय संविधान, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुनिश्चिता प्रदान करता है।

संघ(1970) के प्रकरण में निर्णित किया है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण के घटक और राज्य को हस्तक्षेप, सुरक्षा की गम्भीरता प्रकट करते हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है।

सार रूप में कहा जा सकता है भारत में हिंदू धर्म के अधीन किये गये विवाह में, बहुविवाह को कोई स्थान नहीं है जब कि भारत के मुस्लिम नागरिकों को बहुविवाह अनुमत है।
- पीसी वर्मा, पूर्व उपायुक्त, वाणिज्यिक कर,जयपुर

लहर फुटवियर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : E-243 (E), रोड़ नं. 6, वीकेआई एरिया, जयपुर 302013, फोन : 0141-4167777, फैक्स नंबर : 0141-4167766
वेबसाइट : www.leharafootwear.com, ई-मेल : info@leharafootwear.com, cseo@leharafootwear.com लौहभूषण : LI19201RJ1994PL008196

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक आम सभा का नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मंगलवार, 10 सितम्बर, 2024 को प्रातः 11:00 बजे लहर फुटवियर्स लिमिटेड की 30वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) E-243 (E), रोड़ नं. 6, वीकेआई एरिया, जयपुर 302013 पर आयोजित की जायेगी।

कंपनी की 30वीं एजीएम की सूचना जिसमें विभिन्न प्रस्तावों की जानकारी है एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी, जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिर्भाजितरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं। एमएसई सीबी सर्कुलरों के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम सभा के नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। उक्त दस्तावेजों को वेबसाइट www.leharafootwear.com, एवं स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिरिंटर) बाध्यत्वाएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 ("सेबी एलओडीओर विनियम") के विनियम 44 (1) के अनुसरण में कंपनी अपने सभी सदस्यों को वार्षिक आम सभा की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता (लिरिंटर) बाध्यत्वाएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 ("सेबी एलओडीओर विनियम") के विनियम 42 के अनुसरण में, कंपनी की 30वीं वार्षिक आम सभा के संबंध में सदस्यों का रजिस्टर व कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक 4 सितम्बर, 2024 से 10 सितम्बर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने ई-मेल पते/बैंक अकाउंट की जानकारी को निम्न प्रक्रिया के अनुरूप पंजीकृत/अपडेट करा लें :

डीमैट होल्डिंग के संबंध में	कृपया अपने डिर्भाजितरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें एवं डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ई-मेल पते व बैंक अकाउंट की जानकारी अपने डीमैट अकाउंट में अपडेट करा लें।
भौतिक होल्डिंग के संबंध में	आवश्यक जानकारी जैसे फॉलोयो संख्या, शेयर धारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी (आगे व पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित की गई स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित की गई स्कैन कॉपी) को कंपनी के ई-मेल पते cseo@leharafootwear.com या रजिस्टर व ट्रांसफर एजेंट के ई-मेल पते sandeep@bigshareonline.com पर भेजें।

लहर फुटवियर्स लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल ने 30 मई, 2024 को आयोजित बैठक में प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 0.30 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित किया था। 30वीं वार्षिक आम सभा में शेयर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद अंतिम लाभांश का भुगतान लाभांश की घोषणा के 30 दिनों में विभिन्न ट्रांसफर माध्यमों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन शेयर धारकों को किया जायेगा जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में कट-ऑफ दिनांक 03 सितंबर, 2024 को दर्ज है एवं जिन्होंने अपने बैंक खातों की जानकारी अपडेट कर रखी है। जिन सदस्यों ने अपने बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट नहीं की है उन्हें डिविडेंड वॉरंट्स/डिमांड ड्राफ्ट्स/बैंक ड्राफ्ट सेवाओं की उपलब्धता के अनुरूप सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए शेयर धारकों से निवेदन है कि वे अपने डिर्भाजितरी (यदि शेयर डीमैट रूप में हैं) एवं कंपनी के आरटीए (यदि शेयर फिजिकल रूप में हैं) के यहाँ अपडेट करा लें। शेयर धारक कृपया ध्यान दें कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों एवं वित्तीय अधिनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा घोषित व भुगतान किया गया डिडिविडेंड 1 अप्रैल, 2020 से शेयर धारकों के लिए कर योग्य होगा व शेयर धारकों को भुगतान किये गये लाभांश पर तय दर पर कंपनी द्वारा स्रोत पर टैक्स की कटौती (टीडीएस) की जायेगी।

लहर फुटवियर्स लिमिटेड
कुटे/-
नरेश कुमार अग्रवाल
पुर्णकालिक निदेशक
DIN : 00106649

